

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,

विशेष सचिव,

उपरोक्त शासन।

सेवा में

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उपरोक्त लखनऊ।

उपरोक्त रोजगार एवं गरीबी

लखनऊ : दिनांक 21 फरवरी, 2018

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-रायबरेली की निकाय रायबरेली की 01 परियोजना हेतु केन्द्रांश व राज्यांश की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-एन-11011/02/2017/एचएफए-1(एफटीएस-3146303), दिनांक 09 अक्टूबर, 2017 द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3996/76/एक/आर.ए.वाई./2013-14, दिनांक 16 जनवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजीव आवास योजनान्तर्गत जनपद-रायबरेली की नगर निकाय-रायबरेली फेस-2 की 785 आवासों (टाइप ए के 519 आवास, टाइप बी के 179 आवास एवं टाइप सी के 87) के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 476 आवासों (टाइप ए के 333 आवास, टाइप बी के 96 आवास व टाइप सी के 43 आवास) की 01 परियोजना, जिसकी रु0 3000.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-279/26-व0प्र0/69-1-14-01(आरएवाई-83)/2013, दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित केन्द्रांश व राज्यांश की द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) की धनराशि रु0 1082.50 लाख (रु0 दस करोड़ बयासी लाख पचास हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिवर्णों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र० सं०	जनपद/ परियोजना/कुल आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की संख्या।	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत।	पीएफएडी/ईएफ सी द्वारा अनुमोदित कुल परियोजना लागत।	पीएफएडी/ईएफसी द्वारा अनुमोदित लागत के आधार पर अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु कुल परियोजना लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों हेतु द्वितीय किश्त (40 प्रतिशत) के रूप में आवासीय लागत, भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधा एवं अन्य चार्जस सहित स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि। (केन्द्रांश व राज्यांश)
1	2	3	4	5	6	7
1.	रायबरेली/रायबरेली -785 आवास (टाइप ए के 519 टाइप बी के 179 एवं टाइप सी के 87 आवास)	476 आवास (टाइप ए के 333 टाइप बी के 96 एवं टाइप सी के 47 आवास)	5291.01	4891.67	3000.49	1082.50
	योग					1082.50

मेरी साप्ताहिक कार्यक्रम भारत

प्रमाण:.....2

१८  
३१/२०१४

558/EE

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं ग्रीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसूप्त तथा शासन/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
5. उक्त परियोजना हेतु स्वीकृति की जा रही धनराशि को सम्बन्धित इडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देवय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ द्वारा संयुक्त सचिव/विशेष सचिव अथवा प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी० हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही की जायेगी।
8. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राज्यकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाजार संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
10. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
11. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।

12. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्वेच्छा से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निष्प्रोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराया जाना भी सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
  13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम०ओ०य० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
  14. स्वीकृति धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्णीत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा और प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
  15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-२-२३/दस-२०११-७४(४)/७५/११, दिनांक २५.०१.२०११ में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
  16. लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तवित रूप से किया जायेगा।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "४२१६-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-०२-शहरी आवास-७८९-अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना-०१-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-०१०१-राजीव आवास योजना (के.५०/रा.५०-के+ग)-२४-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-८/२०१७/बी-१-११९०/दस-२०१७-२३१/२०१७, दिनांक ०३.०८.२०१७ तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
१९/११/१६

(अनिल कुमार बाजपेयी)  
विशेष सचिव।

#### संख्या-६५ /२०१८/११४(१)/६९-१-१८-१(आरएवाई-८३)/२०१३ तिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, रायबरेली।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)  
अनु सचिव।